ख / ा	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्ब / अह / हुक्म / में
5/12/19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। बहस वकील उभय पक्ष की सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2072-75 के खाता संख्या नया 146 पुराना 136 के अनुसार विवादित आ.ख.नं. 200/2489 रकबा 0.56 हेयर सायलगण की खातेदारी भूमि होना राजस्व रिकार्ड से सिद्ध है। जिसके कारण गैर सायल वर्गे· को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्याय उचित है। अतः मूल दावे के निस्तारण तक गैर सायल वर्गे· को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम रिवाली तहसील बामनवास के आ.ख.नं 200/2489 रकबा 0.56 हेयर के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वंय करे न किसी अन्य से करावे। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल किया जावे। यह निर्णय आज दिनांक 5.12.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उप जिला कलक्टर बामनवास (जिला–स०मा०)	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Paridwal
Date: 2019.12.27 14:33:15 IST
Reason: SelfAttested